with a person to do the job for them who had been removed from service by the ITDC authorities under court judgement;

(c) whether any objection has been raised with the German firm about this impropriety; and

(d) what amount is likely to be paid to the German firm for this job?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SATYA PAL MALIK): (a) Yes' Sir. ITDC has entered into an agreement in May 1990 with M/s GEBR Heinemann (GH) West Germany for securing consultancy services from them for its various Duty Tax Free Shops, including the shops at the Delhi Airport.

(b) and (c) M/s. GH have confirmed to ITDC that they have not entered into any agreement with any former employee of ITDC to do the job on their behalf.

(d) The fee payable to M/s GH over a period of 5 years would be US $ 1.50 lakhs for obtaining their consultancy services for various areas of ITDC's duty free shops' operation.

ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाने हेतु नये मानदंड

1871. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कोई नये मानदण्ड तैयार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रदान किये जाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में जिला-वार कितने गांवों को चुना गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में मार्गनिर्देशों को जानना चाहते हैं । बैंक समाज के कमजोर वर्गों को, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भाग हैं, उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं । वर्तमान मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, 7,500 रुपए तक के फसल ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से और छोटे तथा सीमान्तिक किसानों द्वारा प्राप्त किसी भी निवेश ऋण पर केवल 10 प्रतिशत की ब्याज दर का प्रावधान है । 10,000 रुपए तक के ऐसे ऋणों पर संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी गारंटी और मार्जिन अपेक्षित नहीं हैं । इसके अतिरिक्त छोटे और सीमान्तिक किसानों द्वारा प्राप्त फसल ऋणों के मामले में नामें डाला गया ब्याज मूल राशि से अधिक नही होता है । कृषि क्षेत्र में वर्तमान देय राशियों पर ब्याज पर ब्याज लगाने की अनुमति नहीं है । 1,25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्रों को 15 दिन के अंदर-अंदर 25,000 रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्रों को 8 से 9 हफ्तों में निपटाया जाना होता है ।

इसके साथ ही मिश्रित ऋण योजना के अन्तर्गत कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को 25,000 रुपए तक के बैंक ऋण पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत वार्षिक और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध हैं । 25,000 रुपए तक के ऐसे ऋणों पर कोई संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी गारंटी और मार्जिन अपेक्षित नहीं है ।

मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में में उपर्युक्त मार्गनिर्देशों का सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा समान रूप से पालन किया जाता है ।